जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. सागर (म.प्र.)

प्रधान कार्यालय, कचहरी मार्ग, सागर (म.प्र.)

फोन : कार्यालय : 07582- 494830, 223346 E-mail id –dccbsagar@yahoo.com

क्रमांक / आडिट निरीक्षण / 919 / 2024-25 सागर, दिनांक 2 JUL 2024

2 JUL 2024

प्रति,

संपरीक्षक फर्म (समस्त)

मध्यप्रदेश

(कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं म.प्र. शासन भोपाल द्वारा जारी चार्टेड एकाउन्टेंट फर्म पेनल वर्ष 2023-24 अनुसार)

विषय – वर्ष 2024-25 के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. सागर की शाखाओं के सतत् अंकेक्षण करने हेतु सहमति देने बावत्।

बैंक का वर्ष 2024-25 का सतत् अंकेक्षण हेतु कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं म.प्र. शासन भोपाल द्वारा जारी वर्ष 2023-24 के सतत् अंकेक्षण हेतु पेनल अनुसार नियुक्तियाँ की जाना है अतः नियम व शर्तें व सतत् अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्कोप ऑफ आडिट एवं कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं म.प्र. शासन भोपाल के, पत्र क्रमांक अंके. / 2 / 2022 / 533 भोपाल, दिनांक 10-05-2022 एवं पत्र क्रमांक / अंके. / 2 / 2022 / 535 दिनांक 13-05-2022 एवं पत्र क्रमांक / अंके / 2 / 2022 / 610 दिनांक 30-05-2022 संलग्न है, कृप्या अवलोकन करें एवं बैंक एवं शाखाओं के सतत् अंकेक्षक हेतु उक्त नियम शर्तों एवं संलग्न प्रारूप में 15 दिवस में सतत् अंकेक्षण हेतु सतत् अंकेक्षक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपनी सहमति देने का कष्ट करें, ताकि नियुक्ति की कार्यवाही की जा सके। सतत् अंकेक्षण प्रतिवेदन स्कोप आफ आडिट प्रारूप में बिलंब से प्रस्तुत होने पर शुल्क कटौती की जा सकेगी। प्रति शाखा का प्रति तिमाही का सतत् अंकेक्षण शुल्क अधिकतम रु. **10,000/-** देय होगा एवं GST पृथक से देय होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई व्यय यात्रा भत्ता, लार्जिंग वोर्डिग देय नहीं होगा। एक चार्टेड एकाउन्टेन्ट फर्म को अधिकतम 4 या 5 शाखाऐं अंकेक्षण हेतु आवंटित की जा सकेगी। आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न है।

संलग्न –

1- आवेदन पत्र का प्रारूप।
2- मुख्य नियम व शर्तें एवं सतत् अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्कोर आफ आडिट (सतत् अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का प्रारूप)
3- बैंक पत्र क्रमांक अंके. / 2 / 2022 / 533 भोपाल, दिनांक 10-05-2022
4- बैंक पत्र क्रमांक / अंके. / 2 / 2022 / 535 दिनांक 13-05-2022
5- बैंक पत्र क्रमांक / अंके / 2 / 2022 / 610 दिनांक 30-05-2022
6- बैंक पत्र क्रमांक / अंके / 2 / 2024 / 210 दिनांक 15-04-24

02/07/24

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. सागर म.प्र.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

BJ

<u>जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सागर (म.प्र.)</u>

<u>सतत् (कान्करेंट) अंकेक्षण वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु नियम व शर्तें</u>

बैंक की वित्तीय वर्ष **2024-25** की अवधि का बैंक की समस्त **21** शाखाओं एवं मुख्यालय सागर के कान्करेंट अंकेक्षण हेतु चार्टेड एकाउन्टेंट फर्मों की नियुक्ति की जाना है। जिसमें कान्करेंट अंकेक्षण हेतु प्रक्रिया से संबंधित निम्न नियम शर्तें रहेगी :–

1- फर्म द्वारा प्रत्येक त्रैमास का अंकेक्षण कार्यक्रम तैयार कर अंकेक्षण के पूर्व सी.ए. फर्म की अधिकृत ई–मेल आईडी से बैंक की अधिकृत ई–मेल आई.डी. पर बैंक को उपलब्ध कराया जावेगा।

2- फर्म की ओर से अंकेक्षण के पूर्व अंकेक्षण करने वाले अंकेक्षक का आई.डी., परिचय पत्र फर्म के द्वारा सत्यापित कर बैंक को अधिकृत ई–मेल से प्रेषित किया जावेगा।

3- फर्म को आडिट लॉगिन व्यू का एक्सेस (बायेमेट्रिक) उपलब्ध कराया जावेगा तथा लॉगिन के समय संबंधित अंकेक्षक का बायोमेट्रिक से लॉगिन अनिवार्य किया जावेगा।

4- अंकेक्षण कार्यक्रम अनुसार सतत् अंकेक्षकों की कार्यस्थल पर उपस्थिति का सत्यापन जिला/संभाग कार्यालय सहकारिता विभाग सागर द्वारा किया जावेगा।

5- सतत् अंकेक्षकों द्वारा शतप्रतिशत प्रत्येक व्हाउचर के संबंधित संव्यवहार का बेरीफिकेशन अनिवार्य रूप से किया जावेगा। यदि सी.बी.एस. से संबंधित एंट्री का मिलान नहीं होता है तो अंकेक्षक इस संबंध में विस्तृत टीप प्रस्तुत करेंगे।

6- न्यूनतम योग्यता के लिए फर्म में दो सनदी लेखापालों का जिसमें एक एफ.सी.ए. फुल टाईम पार्टनर हो तथा फर्म पंजीयन दिनांक से **3** वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुकी हो।

7- सनदी लेखापाल फर्म के पास बैकों का तीन वर्ष के अंकेक्षण का अनुभव अनिवार्य है।

8- समवर्ती लेखा परीक्षक फर्म को दिया गया संपरीक्षण कार्य किसी अन्य फर्म को इनके द्वारा नही दिया जावेगा।

9- संबंधित अंकेक्षण फर्म द्वारा अभिस्वीकृति पत्र के साथ दस्तावेज मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) को सीधे प्रेषित किये जावेगे :–

  i. पार्टनरशिप/डीड/मेमोरेण्डम आफ आर्टिकल एशोसिएशन की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति।
  ii. इंस्टीट्यूट आफ चार्टेड एकाउन्टेंट के पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
  iii. बैंक द्वारा जारी कार्य आवंटन पत्र की प्रति।
  iv. आवेदन पत्र में उल्लेखित अनुसार कम्पनियों/बैंकों के सांविधिक/समवर्ती/अन्य अंकेक्षण से संबंधित जानकारी की प्रति।
  v. बैंकों द्वारा निर्धारित प्रारूप में अभिस्वीकृति पत्र।
  vi. आवेदन पत्र में उल्लेखित अनुसार अन्य कोई दस्तावेज जो आवश्यक हो, संलग्न करें।

10- आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें म.प्र. भोपाल के अनुमोदित पेनल वर्ष **2023-24** में फर्म का नाम होना आवश्यक है।

11- अंकेक्षण आवंटन के समय सनदी लेखापाल फर्म को यदि कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक म.प्र. भोपाल द्वारा विभाग की काली सूची **(Black List)** में सम्मिलित है तो संबंधित फर्म को अंकेक्षण आवंटन नहीं किया जावेगा।

केन्द्रीय बैंक मर्या. सहकारी सागर म.प्र.

12- सनदी लेखापाल फर्म के पार्टनर की अंकेक्षण कार्य के समय परिचय पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराई जावेगी।

13- बैंक को असत्य जानकारी प्रस्तुत करने की स्थिति में बैंक को भारतीय रिजर्व एवं इन्स्टीटयूट आफ चार्टेड एकाउन्टेंट को सूचित करने का अधिकार होगा।

14- प्रत्येक त्रैमास का पृथक–पृथक कान्करेंट अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा।

15- फर्म में एफ.सी.ए. (फेलोसिप चार्टेड एकाउन्टेंट) फुल टाइम पार्टनर होना आवश्यक है।

16- फर्म को शत्प्रतिशत प्रमाणकों का सत्यापन तथा अभिलेखों का परीक्षण करना होगा।

17- अंकेक्षक को समय–समय पर सभी आवश्यक रिपोर्ट सत्यापित करना होगी।

18- अंकेक्षण हेतु फर्म की ओर से उपस्थित होने वाले पार्टनर एवं सहायकों के नाम एवं मोबाइल नम्बर उपलब्ध कराना होंगे।

19- अंकेक्षण के समय फर्म के प्रतिनिधि परिचय पत्र अपने साथ रखेंगे तथा छायाप्रति प्रबंधन को देंगे।

20- सतत् अंकेक्षण की रिपोर्ट प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति के 7 दिवस की अवधि में हस्ताक्षर व सील सहित राजभाषा हिन्दी में हार्ड कापी में **3** प्रतियों में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. सागर प्रधान कार्यालय, सागर में प्रस्तुत करेंगे एवं बाद में साफ्ट कापी PDF में ई–मेल से भेजेंगे।

21- किसी संपरीक्षक फर्म को अधिकतम **5** शाखायें आवंटित की जावेगी। बैक को आवंटित शाखाओं को बदलने का पूर्ण अधिकार रहेगा।

22- अंकेक्षण प्रतिवेदन त्रैमासिक आधार पर होगा एवं अधिकतम रु. 10000/- प्रति तिमाही प्रति ब्रांच पारिश्रमिक देय होगा एवं बिल में GST राशि का क्लेम करने पर नियमानुसार GST राशि पृथक से भुगतान किया जावेगा। इसके अतिरिक्त टी.ए. डी.ए. या लार्जिंग बोर्डिंग या अन्य व्यय देय नहीं होगा।

23- सी.ए. फर्म व्दारा कान्करेंट अंकेक्षण प्रतिवेदन की हार्डकापी बिलंब से प्रस्तुत होने पर शुल्क कटौती के संबंध में संचालक मंडल की बैठक में निर्णय लिया जावेगा।

24- एक **CA** फर्म को एक माह में एक ब्रांच में न्यूनतम **3** बार एवं **3** माह में न्यूनतम **10** बार संबंधित शाखा में अंकेक्षण कार्य हेतु उपस्थिति देना होगी।

25- योग्यता **FCA** आवश्यक है डीसा सीसा आवश्यक नहीं है पर डीसा सीसा वाले **CA** फर्म को प्राथमिकता दी जावेगी।

26- प्रत्येक त्रैमास समाप्ति के 7 दिवस में अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा तथा बैंक द्वारा अधिकतम 7 दिवस में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा व उस पर संपरीक्षक को अपना अभिमत देना होगा।

27- अंकेक्षण शुल्क का भुगतान करने के पूर्व प्रबंधन द्वारा यह पुष्टि की जावेगी कि संपरीक्षक द्वारा निर्धारित शर्तो एवं प्रक्रिया के तहत यथा निर्दिष्ट समयावधि में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है तत्पश्चात फर्म का अनुबंध निरंतर रखे जाने के संबंध में पुर्नविचार कर निर्णय लिया जावेगा।

सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. (जिला) सागर म.प्र.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सागर

वर्ष 2024-25 सनदी लेखाकारों हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

1— आवेदक फर्म का नाम एवं पता ....
(दूरभाष / मोबाईल नंबर सहित) ....

2— ई—मेल आई.डी ....

3— आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें म.प्र. के अनुमोदित पेनल में किस श्रेणी में एवं किस सरल क्रमांक में नाम अंकित है

अनुमोदित पेनल का वर्ष —
अनुमोदित पेनल में श्रेणी —
अनुमोदित पेनल का सरल क्रमांक —

4— डीसा / सीसा उपाधि है अथवा नहीं ....

5— रजिस्ट्रेशन नंबर एवं स्थाई लेखा संख्या ....

6— फर्म का स्थापना वर्ष ....

7— योग्यता (उपाधि / डिग्री) ....

8— पार्टनर की संख्या ....

9— स्टाफ की संख्या ....

10— प्रति शाखा त्रैमासिक कान्करेंट अंकेक्षण शुल्क ....

11— अंकेक्षण कार्य का अनुभव :—

क्रं.	बैंक का नाम	व्यवसायिक बैंक का अनुभव		सहकारी बैंक का अनुभव	
		सतत अंकेक्षण	सांविधिक अंकेक्षण	सतत अंकेक्षण	सांविधिक अंकेक्षण

संलग्नक :—

घोषणा

यदि मुझे जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सागर द्वारा सतत अंकेक्षण का कार्य आवंटित होता है तो मैं बैंक द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों को मान्य करूंगा एवं निर्धारित स्वीकृति हेतु सहमत हूँ।

स्थान —

दिनांक —

आवेदक के हस्ताक्षर

Audit - Praroop